न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या 75/2023 (जीसीएमएस नम्बर 2023/501)

1. फैलीराम पुत्र चन्दर, जाति मीना, निवासी ग्राम कालीखाड कूकलवास, तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा।

— अपीलान्ट

बनाम

1. कजोड पुत्र छाजू, जाति मीना, निवासी ग्राम कालीखाड कूकलवास, तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा।
2. अध्यक्ष, आवंटन सलाहकार समिति (उपखण्ड अधिकारी) दौसा, जिला दौसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा राजस्थान।

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा दिनांक 17.08.2022 जो प्रकरण प्रार्थना पत्र नियम 14(4) आवंटन रूल्स अनुवानी फैलीराम बनाम कजोड प्रकरण संख्या 05/2021 एवं आवंटन सलाहकार समिति का आवंटन आदेश दिनांक 21.06.1992 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री अशोक बटवाल, वकील अपीलान्ट।
2. श्री अशोक कुमार जोशी, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :— 26.12.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 17.08.2022 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 16.06.2023 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 21.06.1992 को ग्राम चक कालीखाड, तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा के आराजी खसरा नम्बर 82, 97, 100 व 102 रकबा 0.80 है0 भूमि का आवंटन हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 कजोड पुत्र छाजू मीना को किया गया था। अपीलान्ट ने उक्त आवंटन आदेश से व्यथित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा के यहां प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.08.2022 द्वारा प्रार्थी फैलीराम पुत्र चन्दर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) आवंटन नियम 1970 अस्वीकार किया जाकर खारिज करने के आदेश पारित किये गये।
3. जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 17.08.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट फैलीराम पुत्र चन्दर द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.08.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन

आदेश दिनांक 17.08.2022 एवं आवंटन सलाहकार समिति का आवंटन आदेश दिनांक 21.06.1992 विधि विधान एवं विधि के सामान्य सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलार्थी आराजी खसरा नम्बर 102 पर बजमाने बुजुर्गान 100 वर्ष से भी अधिक समय से निरन्तर आज दिन तक लगातार काश्त कर लाभान्वित होता चला आ रहा है जिसके फलस्वरूप उक्त आराजी पर अपीलार्थी का दीर्घावधि वैधानिक आधिपत्य होने के कारण उसे कानूनन उक्त आराजी में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है ऐसी दशा मे अपीलार्थी को उक्त आराजी से विधिक रूप से बेदखल किये बगैर अपीलार्थी के पीठ पीछे आवंटन सलाहकार समिति द्वारा रेस्पो० संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 21.06.1992 को किया गया आवंटन आदेश पूर्णतः नैसर्गिक न्याय के सामान्य सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त तथ्य पत्रावली पर बखूबी प्रमाणित होने के उपरान्त भी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त करने में अहम कानूनी त्रुटि कारित की है जो निरस्तनीय है।

रेस्पो० संख्या 1 को आवंटित की गई खसरा नम्बर 102 की भूमि पर आज दिन तक उसे कोई कब्जा देहानगी की कार्यवाही नही की गई न ही उक्त आराजी पर उसके द्वारा आज दिन तक कभी कोई काश्त ही की गई तथा रेस्पो० संख्या 1 द्वारा गत 29 वर्ष मे भी अपीलार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नही किया गया जिसके फलस्वरूप अपीलार्थी को उक्त अवैधानिक आवंटन आदेश की जानकारी पूर्व में नही हो सकी। दिनांक 04.07.2021 को रेस्पो० संख्या 1 व उसके परिवारजन द्वारा अपीलार्थी के कब्जे काश्त में अनुचित हस्तक्षेप कर अपीलार्थी को बेदखल किये जाने का असफल प्रयास किये जाने व उक्त आवंटन आदेश की जानकारी दिये जाने के फलस्वरूप राजस्व रिकॉर्ड से दिनांक 06.07.2021 को आवंटन आदेश की नकल प्राप्त होने पर सर्वप्रथम आवंटन आदेश की जानकारी होने से उक्त प्रार्थना पत्र अविलम्ब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तथा देरी का न्यायोचित कारण भी दर्शित किया गया किन्तु उक्त तथ्य को भी नजरअंदाज करते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भंयकर कानूनी भूल की है जो निरस्तनीय हे।

आराजी खसरा नम्बर 102 जो कि आवंटन हेतु खाली भूमि नही थी तथा जिसका प्रकोलोमेशन भी नही किया गया तथा कानूनन उक्त आराजी का आवंटन भी रेस्पो० संख्या 1 को नही किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 1 भूमिहीन भी नही है तथा न ही उक्त आराजी पर उसका आज दिन तक काश्त ही है तथा उक्त आराजी पर अपीलार्थी के पिता चन्दर का कब्जा काश्त होने बाबत खसरा गिरदावरी व धारा 91 के नोटिस आदि से बखूबी प्रमाणित होने के उपरान्त भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने में अहम कानूनी त्रुटि की है जो निरस्तनीय है। रेस्पो० संख्या 1 द्वारा पटवारी हल्का आदि से नाजायज सांठगांठ कर आवंटन फॉर्म पर गलत रिपोर्ट अंकित कराते हुए सरासर फ्रोड के आधार पर उक्त आवंटन आदेश प्राप्त किया गया है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 भूमिहीन नही है जिसके फलस्वरूप भी उक्त आवंटन आदेश एक क्षण के लिए भी कायम न रखे जाने योग्य होने के उपरान्त भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने मे वैधानिक त्रुटि की है जो निरस्तनीय है। उक्त आवंटन आदेश पर आवंटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी एवं सदस्य पंचायत समिति के भी कोई हस्ताक्षर न होने के कारण भी उक्त आवंटन आदेश किसी प्रकार से वैधानिक न होने के फलस्वरूप भी कानूनन कायम रखे जाने योग्य नही है किन्तु उक्त तथ्य को भी नजरअंदाज कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में घोर कानूनी भूल की है जो निरस्तनीय है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलार्थी अनपढ, गरीब काश्तकार मजदूर पेशा व्यक्ति है, बारिश की कमी के कारण कमाने खाने अहमदाबाद चला गया था। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.08.2022 की अपीलार्थी को उसके अधिवक्ता द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई अपीलार्थी दिनांक 12.05.2023 को दौसा आया एवं उक्त प्रकरण के बाबत अपने अधिवक्ता से

जानकारी करने पर उनके द्वारा सर्वप्रथम बताया गया कि उसका प्रार्थना पत्र विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.08.2022 को निरस्त कर दिया गया है जिसकी अविलम्ब नकल प्राप्त करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर अपीलार्थी को दिनांक 16.05.2023 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी से अन्दर मियाद व कर्मचारीयों की हड़ताल के उपरान्त उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है। फिर भी रफा ए हुज्जत किसी भी कारणवश अपीलार्थी की उक्त अपील मियाद बाहर जाने की दशा में दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत कर प्रार्थना की जा रही है कि यदि उक्त अपील मियाद बाहर मानी जावे तो उपरोक्त परिस्थितियों को मध्येनजर रखते हुए उक्त अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करते हुए उक्त अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाते हुए मैरिट पर निर्णित की जावे ताकि अपीलार्थी को न्याय प्राप्त हो सके। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। आवंट सलाहकार समिति का आवंटन आदेश एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान उच्च न्यायालय, अनेकों उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्त के विपरीत होने के कारण खण्डनीय है। अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर नम्र निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाया जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.08.2022 व रेस्पो० संख्या 1 के पक्ष में खसरा नम्बर 102 की हद तक किया गया आवंटन आदेश दिनांक 21.06.1992 निरस्त फरमाये जाने की कृपा करे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति कैंप थूमडी में दिनांक 21.06.1992 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 कजोड पुत्र छाजू मीना निवासी कालीखाड को ग्राम चक कालीखाड स्थित आराजी खसरा नंबर 82 रकबा 0.40 है०, खसरा नंबर 97 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 100 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 102 रकबा 0.17 है0, कुल किता 4 रकबा 0.80 है0 का आवंटन किया गया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 कजोड पुत्र छाजू मीना द्वारा भूमि आवंटन कराने हेतु नियमानुसार प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसमें ग्राम चक कालीखाड स्थित खसरा नंबर 82, 97, 100 व 102 का आवंटन चाहा गया था। आवंटन के समय रेस्पोडेन्ट संख्या 01 कजोड के हिस्से में 0.59 है0 भूमि स्थित थी। इस प्रकार आवंटी भूमिहीन की श्रेणी में था एवं बालिग तथा उसी ग्राम पंचायत का निवासी था। उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि ग्राम चक कालीखाड के आवंटन किये गये खसरा नंबरान की भूमि को पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण से मुक्त बताया गया है हाल अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि आवंटित की गई भूमि पर अपीलान्ट का जमाने बुजुर्गान कब्जा काश्त रहा है।

अपीलान्ट के अनुसार प्रश्नगत भूमि जिसका आवंटन किया गया है जिसकी किस्म गै०मु० नदी नही थी, सिवायचक भूमि थी जिसका आवंटन सलाहकार समिति कैंप थूमडी में कोरम में भूमि आवंटित की गई थी। पूर्व में तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को आवंटित भूमि खसरा नंबर 82 रकबा 0.40 है0 का आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के यहाँ प्रकरण संख्या 204/2005 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम कजोड पेश किया गया था। जिस पर माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 01.02.2006 को निर्णय पारित किया गया जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को किया गया आवंटन बहाल रखा जाकर तहसीलदार दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 को खारिज किया गया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि एक बार प्रार्थना पत्र 14(4) निर्णित होने के बाद उसी आवंटन के विरूद्ध पुनः प्रार्थना पत्र 14(4) नहीं चल सकता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 कजोड द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन के बाद से ही निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 कजोड

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को दिनांक 25.07.1992 को पटवारी हल्का थूमडी द्वारा ग्राम के व्यक्तियों की उपस्थिति में कब्जा संभलाया गया है। अपीलान्ट का प्रश्नगत भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.08.2022 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 21.06.1992 को ग्राम चक कालीखाड, तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा के आराजी खसरा नम्बर 82, 97, 100 व 102 रकबा 0.80 है0 भूमि का आवंटन हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 कजोड पुत्र छाजू मीना को किया गया था। अपीलान्ट ने उक्त आवंटन आदेश से व्यथित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा के यहां प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.08.2022 द्वारा प्रार्थी फैलीराम पुत्र चन्दर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) आवंटन नियम 1970 अस्वीकार किया जाकर खारिज करने के आदेश पारित किये गये। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, वह पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 12.05.2023 से होना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 21.06.1992 को ग्राम चक कालीखाड, तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा के आराजी खसरा नम्बर 82, 97, 100 व 102 रकबा 0.80 है0 भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 01 कजोड पुत्र छाजू मीना को किया गया था। अपीलान्ट ने उक्त आवंटन आदेश से व्यथित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा के यहां प्रस्तुत किया गया था। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवंटी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 कजोड पुत्र छाजू मीना द्वारा भूमि आवंटन किये जाने हेतु विधिवत रूप से आवेदन पत्र भरकर पेश किया गया था। आवंटी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 कजोड के नाम आवंटन से पूर्व मात्र 0.59 है0 भूमि दर्ज रिकार्ड है। आवंटी कजोड को भूमि आवंटन के पश्चात पटवारी हल्का थूमडी द्वारा ग्राम के दो व्यक्तियों की मौजूदगी में आवंटित भूमि का कब्जा संभलाया गया था। प्रश्नगत भूमि वर्तमान में गैर खातेदारी दर्ज है। अपीलान्ट द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 21.06.1992 को 29 वर्ष बाद चुनौती दी गई है। अत्यधिक विलम्ब से आवंटन को निरस्त किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण भी नहीं बताया गया है। साथ ही अपीलान्ट यह तथ्य साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है कि प्रश्नगत भूमि पर अपीलान्ट का कभी कब्जा काश्त रहा हो या वर्तमान में कब्जा हो तथा आवंटित की गई भूमि गै0मु0 नदी की भूमि थी जो अब्दुल रहमान बनाम सरकार में प्रतिबंधित भूमि

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रश्नगत भूमि का आवंटन पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए विधिवत रूप से किया गया है।

अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कजोड पुत्र छाजू मीना को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 21.06.1992 को किया गया आवंटन निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। अपीलान्ट का यह कहना है कि उनका उक्त भूमि पर काफी अर्से दराज से कब्जा है। अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त होने के सम्बन्ध में ऐसा कोई दस्तावेजात/साक्ष्य/सबूत आदि अधीनस्थ न्यायालय अथवा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कजोड पुत्र छाजू मीना का उक्त भूमि पर कभी कब्जा ही नही है, यह स्वीकार योग्य नहीं है। वकील अपीलान्ट इस तथ्य को भी साबित करने में असफल रहे है कि आवंटित की गई भूमि गै0मु0 नदी की भूमि थी जो अब्दुल रहमान बनाम सरकार में प्रतिबंधित भूमि है। इसके अतिरिक्त पत्रावली में ऐसा कोई प्रमाण या दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि रेस्पोडेन्ट कजोड द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई है। अपीलान्ट यदि भूमि पर अधिकार मानता है तो उन्हें सक्षम न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 में खातेदारी हेतु दावा करना चाहिये, जो उनके द्वारा नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र 14 (4) स्वीकार किये जाने का कोई उचित आधार प्रतीत नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 खारिज किये जाने तथा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 कजोड पुत्र छाजू मीना के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 21.06.1992 को यथावत रखे जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.08.2022 को पारित किये गये हैं। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.08.2022 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.08.2022 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 26.12.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर